16

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–06/2020–21

विजय महामरीक एवं अन्य

बनाम्

शिव कुमार साह

–: आदेश :–

दिनांक 7/4/23

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता सुरेश महामरीक, पे0–स्व0 बलदेव महामरीक, सा0–घाट मंजवारा, अंचल–गोड्डा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के रा0वि0 वाद संख्या–11/17–18 के आदेश दिनांक–29.02.2020 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने रा0वि0 वाद संख्या–11/17–18 आदेश दिनांक–29.02.2020 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है।

वर्तमान प्रक्रिया चलने के दौरान अपीलकर्त्ता सुरेश महामरीक की मृत्यु के कारण उनके पुत्र विजय महामरीक वो अजय प्र0 यादव वो कुमोद प्र0 यादव वो सुबोध कुमार यादव, पे0–स्व0 सुरेश महामरीक को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–मंजवारा के कई जमाबंदी रैयत, जिसमें अपीलकर्त्ता भी शामिल है, के द्वारा मौजा–घाट मंजवारा के गैरमजरूआ तालाब दाग नं0–33 रकवा 04–08–03 धुर जमीन से अपनी जमीन का सिंचाई करते थे। लेकिन उत्तरवादी ने उक्त पोखर से मौजा के रैयतों को सिंचाई करने से रोक दिया तो अपीलकर्त्ता एवं मौजा के रैयतों के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में उपरोक्त पोखर से उनकी जमीन को सिंचाई में बाधा को दूर करने के लिए आवेदन दिया गया था। उत्तरवादी के द्वारा उक्त पोखर की जमीन पर हुकुमनामा, कुछ लगान रसीद एवं पंजी–II में प्रविष्टि के आधार पर दावा किया जा रहा है और उत्तरवादी की ओर से मनगढ़ंत बात यह कहा गया है कि कुमारी भारती को मौजा–घाट मंजवारा के दाग नं0–33 पोखर की जमीन बंदोवस्ती वर्ष 1933 ई0 में की गयी है। इसके बाद उनकी शादी तहसीलदार

डोमन साह के साथ हुई एवं तहसीलदार डोमन साह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र भोलानाथ साह उक्त जमीन पर दावा कर रहा है। लेकिन हुकुमनामा से पता चलता है कि उक्त हुकुमनामा डोमन साह के द्वारा अपनी अविवाहित पत्नि के पक्ष में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 एवं बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के लागू होने के बाद लिखा था। क्योंकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 35 पोखर की जमीन पर बंदोवस्ती पर रोक लगाता है। चूँकि पोखर की जमीन का उपयोग बाढ़ से सुरक्षा या सिंचाई, धोने एवं पीने के लिए किया जाता है। अन्य किसी दूसरे उदेश्य से पोखर की जमीन का उपयोग रैयतों एवं प्रधान के सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। उत्तरवादी के द्वारा यह दावा किया गया कि उक्त पोखर की जमीन को उत्तरवादी के पूर्वज के द्वारा धानी–III में परिवर्तित किया गया था। फिर उसे पोखर में बदल दिया गया। उनका आगे कथन है कि हुकुमनामा विश्वास योग्य नहीं है। क्योंकि सोनारचक निवासी एक कुँवारी को खेती के लिए लगभग 15 कि0मी0 की दूरी पर स्थित जमीन हुकुमनामा के द्वारा दिया जाना ही संदेह उत्पन्न करता है। उक्त हुकुमनामा में राज वनेली के जमीनदार द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है। बल्कि केवल उत्तरवादी के पूर्वज डोमन साह के द्वारा लिखा गया एवं हस्ताक्षर किया गया है एवं बनावटी हुकुमनामा के आधार पर वाद संख्या–57/52–53 अंकित करते हुए पंजी–II में प्रविष्ट कराया गया है। लेकिन पंजी–II में वरती देवी का नाम कैसे प्रविष्ट किया गया है, इसे स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही उत्तरवादी यह साबित नहीं कर पाया है कि रिटर्न में उनके पूर्वज का नाम दर्ज है। उनका आगे कथन है कि गैरमजरूआ पोखर को अन्य किसी उद्धेश्य से बंदोवस्त नहीं किया जा सकता है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 35 भी इस तरह की जमीन की बंदोवस्ती को प्रतिबंधित करता है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए मौजा–घाट मंजवारा नं0–474 के दाग नं0–33 पोखर की जमीन का प्रकृति को बहाल रखने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्तागण को मौजा–घाट मंजवारा नं0–474 के दाग नं0–33 के पोखर की जमीन से सिंचाई या किसी भी प्रकार का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि उक्त तालाब उत्तरवादी की निजी सम्पति है। इस मामलें में

संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 35 लागू नहीं होता है। क्योंकि उक्त जमीन की बंदोवस्ती पूर्व जमीनदार द्वारा वर्ष 1933 में किया गया है और उस समय कोई संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 लागू नहीं था और न ही संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 का पूर्व व्यापी प्रभाव था। उनका आगे कथन है कि उक्त तालाब की खुदाई 75 वर्ष पूर्व की गयी है तथा तालाब के पिंड के पूर्व–दक्षिण छोर में भगवान शिव मंदिर का निर्माण किया गया। आम जनता के द्वारा तालाब की पींड का उपयोग पूजा पथ के रूप में तथा तालाब की पानी का उपयोग पूजा एवं स्नान के लिए किया जाता है। क्योंकि तालाब को शिव गंगा के रूप में जाना जाता है और उक्त तालाब की पानी का उपयोग कभी सिंचाई के लिए नहीं किया गया है। उनका आगे कथन है कि भूतपूर्व जमीनदार को उक्त जमीन की बंदोवस्ती का शक्ति था, जो उस समय पोखर या तालाब के रूप में विद्यमान नहीं था। पूर्व जमीनदार के वफादार नौकर या कार्यकर्त्ता के लिए अपनी जमीनदार के अन्तर्गत किसी भी जमीन को उपहार में देने का अधिकार था। पूर्व जमीनदार अपने एक कार्यकर्त्ता विसनी साह पर खुश हो गया था, जो सोनारचक गाँव का था। इसलिए पूर्व जमीनदार ने अपने कार्यकर्त्ता विसनी साह के एक मात्र पुत्री कुमारी बरती को उक्त जमीन की बंदोवस्ती की। बाद में संयोग था कि बरती की शादी डोमन साह से हुई। क्योंकि डोमन साह भूतपूर्व जमीनदार के लोकप्रिय प्रधान थे। डोमन साह एवं बरती देवी से एक मात्र पुत्र भोलानाथ साह हुए। लेकिन अपीलकर्त्ता ने बरती देवी को भोलानाथ साह की पत्नि बताया है, जो आपत्तिजनक है। बरती देवी भोलानाथ साह की माता है। उनका आगे कथन है कि उक्त जमीन पर वर्ष 1933 में कोई तालाब नहीं था। उक्त तालाब धानी–III में परिवर्तित हो गया था। इसलिए विसनी साह के पुत्री को भूतपूर्व जमीनदार के द्वारा हुकुमनामा के माध्यम से उक्त जमीन की बंदोवस्ती की गयी थी। बरती उस समय से उक्त जमीन का जोत आबाद करती थी। इसके बाद डोमन साह उक्त जमीन का जोत आबाद करने लगे। उनका आगे कथन है कि जमीनदारी के समय उपहार या बंदोवस्ती देने का प्रथा था और बंदोवस्ती के लिए हुकुमनामा, अमलनामा, पट्टा आदि का कानूनी साधन था और बंदोवस्ती के बाद लगान धार्य किया जाता था। चूँकि बरती के नाम से निर्गत हुकुमनामा के आधार पर कुमारी बरती के नाम से लगान धार्य किया गया है तथा बरती के नाम से वर्ष 1933 से लगान रसीद कटना शुरू हो

गया है तथा पंजी–II में नाम दर्ज किया गया है। वर्तमान तसदीक सर्वे में भी भगवान शिव मंदिर के नाम से उक्त जमीन दर्ज किया गया है। उक्त तालाब का उपयोग शिव गंगा के रूप में किया जा रहा है। उनका आगे कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा अंचल अधिकारी, गोड्डा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उत्तरवादी के द्वारा दाखिल किये गये वैध दस्तावेज के आधार पर आदेश पारित किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–680/रा0 दिनांक–28.06.2022 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–घाट मंजवारा, थाना नं0–474 अन्तर्गत गैरमजरूआ खाता संख्या–99 के अंदर दाग नं0–33 रकवा 04–08–03 धुर जमीन किस्म पोखर के नाम से गेंजर सर्वे पर्चा में दर्ज है। पोखर के दक्षिण पिंड पर शिव पार्वती मंदिर एवं पक्की घाट बना हुआ है। ग्रामीणों से पूछताछ करने पर बताया गया कि यह पोखर शिवकुमार साह, पिता–स्व0 भोलानाथ साह के दखल कब्जा में है। ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि इनके पिता–स्व0 भोलानाथ साह के द्वारा उक्त पोखर की खुदाई एवं जीर्णोधार किया गया है। आगे प्रतिवेदित किया गया है कि पंजी–II में उक्त भूमि बरती देवी जौजे डोमन साह सा0–घाट डुमरिया के नाम से होल्डिंग नं0–98/1 में अंकित है, जो तत्कालीन अंचलाधिकारी, गोड्डा केश नं0–57/1952–53 के अनुसार दर्ज किया गया है। वर्तमान में उक्त भूमि शिवकुमार साह, पिता–स्व0 भोलानाथ साह, सा0–घाट डुमरिया के दखल कब्जा में है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि प्रश्नगत जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में पोखर की जमीन है एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 35 के तहत पोखर की जमीन का बंदोवस्ती नहीं किया जा सकता है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने, अंचल अधिकारी, गोड्डा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विज्ञ सरकारी वकील के मंतव्य से स्पष्ट होता है कि मौजा–घाट मंजवारा नं0–474 गैरमजरूआ खाता के अंतर्गत दाग नं0–33 कुल रकवा 04–08–03 धुर जमीन पोखर कहकर गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। उत्तरवादी के द्वारा हुकुमनामा के द्वारा

दिनांक–19.05.1933 को वरती देवी के नाम से की गयी बंदोवस्ती के आधार पर दावा किया गया है एवं उत्तरवादी की ओर से हुकुमनामा एवं लगान रसीद का छायाप्रति दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि वरती देवी के नाम से पंजी–II में भी दर्ज है। लेकिन उत्तरवादी की ओर से रिटर्न की प्रति दाखिल नहीं किया गया है। यह स्पष्ट है कि गत सर्वे सेटलमेंट के अनुसार उक्त जमीन पोखर की जमीन है, जो सार्वजनिक उपयोग की जमीन है और चूँकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 35 पोखर की जमीन बंदोवस्ती पर रोक लगाती है एवं आपत्तिकर्त्तागण का कथन है कि उत्तरवादी मौजा के रैयतों की उक्त पोखर की जमीन से सिंचाई करने नहीं देता है। अतएव ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0–11/17–18 में दिनांक–29.02.2020 के आदेश को निरस्त किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–4 (h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, गोड्डा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त
गोड्डा।

उपायुक्त
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.08.12 12:34:14 +05:30
Location: 192.168.1.54